बिहार मानवाधिकार आयोग

9, बेली रोड, पटना–15

संचिका संख्या–BHRC/Comp-4084/13

विषय :– अधिगृहित जमीन का मुआवजा भुगतान हेतु

जस्टिस विनोद कुमार राय का परिवाद पत्र

30.12.2014

परिवादी/आवेदक के द्वारा एक के बाद एक दो परिवाद दाखिल किये गये । दोनों से संबंधित प्लॉट भले अलग हो सकते हैं लेकिन शिकायत एक तरह का है। इसलिए आवेदक द्वारा दोनों आवेदन पत्रों के अभिकथनों को एक साथ दिया जा रहा है । संचिका में भी दोनों का कोई अलग अस्तित्व नहीं बनाया गया है । पहले आवेदन पत्र की तिथि दिनांक 06.11.2013 है जबकि दूसरे आवेदन पत्र की तिथि भी लगभग वही है । अलावे इसके तत्संबंधित की गयी कार्रवाई एवं उपस्थित हुई परिस्थितियों को भी इस आयोग को तत्समय आवेदन पत्र देकर सूचित किया गया है ।

मूल आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा कहा गया है कि LA Case No.- 179 of 1973–74, से संबंधित जमीन (खेसरा) पर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान दिनांक 14.01.1976 को कब्जा ले लिया गया, वह भी Flood Control Division, Buxar के कार्यपालक अभियंता द्वारा । कार्यपालक अभियंता द्वारा कब्जा लिये जाने पर ध्यान अधिक देना इसलिए जरुरी है कि बताया गया है कि कार्यपालक अभियंता अधिगृहित भूमि पर कब्जा ले ही नहीं सकता है । भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य बक्सर, कोईलवर, गंगा तटबंध का निर्माण करना था । इसके लिए परियोजना सिंचाई विभाग द्वारा बनाया गया था । स्पष्ट रुप में कहा गया है कि भूमि पर Collector/District Land Acquisition Officer, Bhojpur द्वारा ही कब्जा किया जाना चाहिये था ।

आगे कहा गया है कि कार्यपालक अभियंता के द्वारा भूमि के कब्जा लिये जाने के बाद उस पर किये जा रहे कार्य को दिनांक 18.06.1985 को LA Case No.- 84/1985–86 प्रारंभ कर रोक दी गयी । उपरोक्त Case No.- 84 में बिना किसी दफा 9 LA Act का नोटिस तामिल किये Estimate तैयार किया गया जो बाद में त्रुटियों के नहीं हटाये जाने के कारण खारिज कर दिया गया । इसके बाद एक के बाद एक LA Case No.- 9/1988–89, LA Case No.- 15/1992–93, LA Case No.- 4/1993–94, LA Case No.- 2/1994–95 प्रारम्भ किये गये और

उन्हें धारा 11A Land Acquisition Act के अंतर्गत Lapse करने हेतु छोड़ दिया गया । आवेदक द्वारा बताया गया कि दिनांक 18.02.2013 को Lapse LA Case No.- 179/1973–74 में अवार्ड पारित कर दिया गया । इसकी सत्य प्रतिलिपि आवेदक को Serve नहीं की गयी । इसके लिए आवेदक के द्वारा प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को शिकायत भी की गयी जिसके आधार पर निदेशक, भूमि अधिग्रहण, बिहार के द्वारा Collector, Buxar को कुछ निर्देश पारित किये गये परंतु वह बिना किसी निष्कर्ष या परिणाम के साबित हुये । परिणामतः आवेदक को कोई भी क्षतिपूर्ति (Compensation) उचित का क्या कहना, दिया ही नहीं गया ।

दूसरे आवेदन पत्र में भी कुछ नयी परिस्थितियों को देते हुये वही बात कही गयी है कि तत्कालीन परिवार के मुखिया स्वर्गीय हरिद्वार राय को क्षतिपूर्ति का आश्वासन देकर कार्यपालक अभियंता, Flood Control Division, Buxar द्वारा अधिगृहित भूमि पर कब्जा ले लिया गया । परिवादी द्वारा अपने को रिविजनल प्लॉट सर्वे नं0 256, 478 और 300/484 का हिस्सेदार बताया गया है । इसी में कार्यपालक अभियंता द्वारा .6125 एकड़ भूमि अधिगृहित करने की कार्रवाई हेतु भी लिखा गया कि धारा 4 भूमि अधिग्रहण अधिनियम का Notification किया जा सके । जिसके अनुपालन में धारा 4 और 17 का Notification तथा 6 का Declaration की कार्रवाई का होना कहा गया । Objection दाखिल करने का भी नोटिस जारी किया गया । परिवादी की आपत्ति थी कि बिना Estimated Compensation Amount जमा किये धारा 9 LA Act का भी नोटिस जारी किया गया । आवेदक द्वारा इसकी शिकायत की गयी, बाद में प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के यहां भी, जिनके यहां से कलेक्टर, बक्सर को आवेदक की शिकायतों को सुनने का निर्देश दिया गया परंतु जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा आवेदक की आपत्ति पर सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। विधि द्वारा निर्धारित दो वर्ष की अवधि समाप्त हो गयी और जो कार्रवाई प्रारम्भ की गयी वो दिनांक 12.12.2011 को स्वतः Lapse हो गयी । इसके बाद नया LA Act दिनांक 01.01.2013 अस्तित्व में आ गया है जिसमें भी स्वतः कार्रवाई के Lapse होने का Provision दिया हुआ है ।

इसके बाद की घटनाओं के लिए भी समय–समय पर आवेदन पत्र आवेदक द्वारा दिया गया है । आवश्यकता पड़ने पर उनकी चर्चा बीच–बीच में की जायेगी । बहुत सारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था (Ruling) उद्धृत की गयी है जिनका भी विवेचन आवश्यक होने पर किया जायेगा । इसी के साथ लोकायुक्त के आदेश की भी छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है ।

आरोपों के महत्व को ध्यान में रखकर सरकार अपना पक्ष बेहतर ढंग से रख सके, भू–अर्जन पदाधिकारी, बक्सर, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को नोटिस जारी किया गया कि वे अपनी आपत्ति या आवेदक के आरोप/कथन के बारे में उनका क्या कहना है, इस आयोग के सामने रखें । अलावे इसके पक्षकारों से निश्चित बिन्दुओं पर उनका जवाब/कथन मांगा गया । ये बिन्दु हैंः–

1. भूमि अधिग्रहण के कार्रवाई का वर्ष

2. भूमि पर कब्जा का वर्ष

3. भूमि पर कब्जा लेने वाला पदाधिकारी

4. पंचाट के पारित किये जाने की तिथि

5. पंचाट की सूचना देने की तिथि

6. आवेदक द्वारा Reference दाखिल करने की तिथि

7. Reference किस पदाधिकारी के यहां ट्रिब्यूनल या कोर्ट में करना चाहिये इसकी जानकारी

8. लोकायुक्त का आदेश Merit पर है या Maintainability पर है

इस क्रम में विभागीय प्रतिवेदन जिसे आवेदक के कथन पर आपत्ति भी कहा जा सकता है, इस आयोग को कई रुप में प्राप्त हुआ है । ऐसा प्रथम प्रतिवेदन/आपत्ति दिनांक 08.02.2013 का है जो संचिका के पृष्ठ 98–97/प0 पर उपलब्ध है जिसमें कहा गया है कि परिवादी द्वारा जो भी या जिन बातों का भी जिक्र किया गया है, उन सभी तथ्यों को उनके द्वारा माननीय लोकायुक्त के न्यायालय में उठाया जा चुका है । फिर वही तथ्य पुनः उठाने का कोई औचित्य नहीं है । लोकायुक्त के कार्रवाई के दौरान की बातों को ही लेकर कहा गया है कि आवेदक द्वारा दिनांक 06.04.2009 को एक आवेदन पत्र दिया गया जिसमें मुआवजा भुगतान का अनुरोध किया गया। स्पष्ट है कि भू–अर्जन वाद सं0 179 of 1973–74 को व्ययगत/Lapse उनके द्वारा नहीं माना गया । वहां सुनवाई के दौरान ही पंचाट घोषित हुआ जिसकी सूचना परिवादी को लोकायुक्त के यहां चल रही कार्रवाई में ही दे दी गयी । स्टॉपेल (Estoppel) एवं रेसजुडिकेटा (Resjudicata) की भी बात कही गयी है । आवेदक ने अपने आरोपों को पूर्व में कहीं नहीं उठाया है, इसको भी इनकार किया गया है । लोकायुक्त के आदेश को इस रुप में लिया गया है कि उनके निर्णय के बाद मामले को उच्च न्यायालय में ही उठाया जा सकता है । मुआवजा भुगतान का अनुरोध एवं पंचाट को विधिशून्य घोषित करने के अनुरोध को एक दूसरे का विरोधी कहा गया है । यह भी

बताया गया है कि पंचाट में निर्णित क्षतिपूर्ति/मुआवजा का भुगतान आवेदक को किया जा चुका है ।

इसके अतिरिक्त लिखित बहस, दिनांक 01.08.2014 को पूछे गये 8 बिन्दुओं का जवाब एवं क्षतिपूर्ति का Payment देर से किये जाने का स्पष्टीकरण भी अलग–अलग लिखित दाखिल किया गया है जो क्रमशः संचिका के पृष्ठ 231–227/प0, 233/प0, 274–271/प0 पर उपलब्ध है । आयोग द्वारा भेजे गये 8 बिन्दुओं का जवाब आवेदक द्वारा भी दिया गया है ।

जिन 8 बिन्दुओं पर पक्षकारों का जवाब मांगा गया था उस पर उनके द्वारा अलग–अलग जवाब दाखिल किया गया है और वही मात्र पक्षकारों के बीच विवाद का बिन्दु हो सकते हैं । इसलिए उनको एक साथ लिया जायेगा । विपक्षी का लिखित बहस यद्यपि पूर्व में ही दाखिल कर दिया गया था जिसके बाद इन बिन्दुओं पर पूछे गये प्रश्न का जवाब एवं क्षतिपूर्ति/मुआवजा की रकम देर से दिये जाने का स्पष्टीकरण आया परन्तु परिस्थितिवश स्पष्टीकरण को सबसे पहले लिया जायेगा । इसके बाद अयोग द्वारा पूछे गये बिन्दुओं का जवाब देखा जायेगा । लिखित बहस के अतिरिक्त मौखिक बहस भी की गयी परन्तु बहस में उन्हीं बातों पर ध्यान आकृष्ट किया गया जो आयोग द्वारा गठित बिन्दुओं के जवाब एवं क्षतिपूर्ति (Compensation) देर से दिए जाने के स्पष्टीकरण में दिया हुआ है ।

क्षतिपूर्ति/मुआवजा के बारे में कहा गया है कि वर्ष 2002 में प्रश्नगत भूमि का मुआवजा भुगतान करने का आवेदन पत्र विनोद कुमार राय द्वारा दिया गया जिसके आलोक में भोजपुर से जिला अभिलेख प्राप्त करने की कार्रवाई की गयी तथा निर्मित बांध की भूमि के वर्तमान स्थिति यथा खाता, खेसरा, रकवा की जांच हेतु 7 सदस्यीय समिति का गठन करते हुये प्रतिवेदन की मांग की गयी । भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर के पत्रांक 535, दिनांक 16.10.2002 से वांछित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । प्रतिवेदन के आलोक में निर्णय हेतु निदेशक, भू–अर्जन, बिहार, पटना से मार्गदर्शन की मांग की गयी । निदेशक, भू–अर्जन, बिहार, पटना के पत्रांक 877/रा0, दिनांक 14.07. 2003 से विद्वान अधिवक्ता का परामर्श मुआवजा भुगतान करने हेतु प्राप्त हुआ । कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर का पत्रांक 933, दिनांक 13.09.2003 द्वारा अधियाचना पत्र प्रश्नगत भूमि के भू–अर्जन हेतु दाखिल किया गया जिसे भू–अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय से भू–अर्जन की कार्रवाई हेतु भेजा गया । भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता से उक्त मौजा के भू–मानचित्र की मांग की गयी जो अभिलेखागार, बक्सर एवं अभिलेखागार, भोजपुर में उपलब्ध नहीं थी । इसलिए सरकारी मुद्रणालय, पटना से भी मानचित्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया । वहां

भी भू–मानचित्र उपलब्ध नहीं हुआ । तत्पश्चात् महाधिवक्ता के परामर्श दिनांक 10.11.2008 के अनुसार भू–अर्जन वाद सं0 179/1973–74 में कार्रवाई की गयी जो व्ययगत नहीं हुआ था ।

यद्यपि भू–अर्जन की अधिसूचना भोजपुर जिला से निर्गत किया था लेकिन बक्सर जिला के अस्तित्व में आने के बाद भू–अर्जन पदाधिकारी, बक्सर को ही कार्रवाई करने में सक्षम माना गया । भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा अभिलेख प्राप्त होने पर बिक्री आंकड़ा संग्रह करने हेतु दिनांक 16.09.2009 को अमीन को आदेश दिया गया । राशि उपलब्धता के बिंदु पर कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर से दिनांक 01.10.2009 को प्रतिवेदन की मांग की गयी । निदेशक, भू–अर्जन, बिहार, पटना से निर्देश की मांग की गयी कि पंचाट भू–अर्जन पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति, 2007 के अनुसार तैयार कर मुआवजा का भुगतान किया जायेगा या पुराने नियम के अनुसार मुआवजा का भुगतान किया जायेगा । कार्यपालक अभियंता से दिनांक 23.01.2010 को राशि की मांग की गयी । भू–अर्जन वाद सं0 179/1973–74 की धारा 9 के तहत दाखिल आपत्तियों के निष्पादन की मांग की गयी । आपत्तियों के निष्पादन हेतु संबंधित रैयतों के वंश वृक्ष बनाकर मुखिया ग्राम पंचायत से सत्यापित कराकर अमीन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ताकि आपत्तिकर्त्ता के उत्तराधिकारियों को नोटिस निर्गत किया जा सके । नोटिस निर्गत करने के बाद सुनवाई की गयी एवं अपत्तियों का निष्पादन किया गया ।

योजना हेतु अधिसूचित 12 एकड़ 67 डि0 भूमि के अतिरिक्त भूमि पर बांध बनाये जाने का प्रश्न उठाया गया । कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर से प्रतिवेदन की मांग की गयी । प्रतिवेदन के आलोक में अधिसूचना एवं अधिघोषणा में शामिल एक डि0 गैरमजरुआ मालिक भूमि को विलोपित करने हेतु शुद्धिपत्र का प्रस्ताव आयुक्त के माध्यम से सरकार को भेजा गया । शुद्धिपत्र दिनांक 26. 04.2011 निर्गत हुआ उसमें 16 डि0 ऐसी भूमि थी जिस पर बांध का निर्माण नहीं हुआ था । इसिलए वापसी का सूचना निर्गत किया गया। अधिसूचना में जो भूमि शामिल नहीं थी परंतु उस पर बांध का निर्माण किया गया था, को अर्जन में शामिल करने हेतु कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल से अनुरोध किया गया । सहमति प्राप्त होने के पश्चात् अधिसूचना एवं अधिघोषणा के लिए शुद्धिपत्र निर्गत किया गया । .6125 एकड़ के लिए अधियाचना प्राप्त करते हुये भू–अर्जन की कार्रवाई पूर्ण की गयी । हितबद्ध रैयतों के द्वारा स्वेच्छा से भूमि देने के बिंदु पर शपथ पत्र प्राप्त किया गया । दर निर्धारण हेतु बिक्री आंकड़ा संग्रहित कर दर निश्चित किया गया जिस पर रैयतों की आपत्ति आने पर संशोधित करते हुये इसे 291 रुपये निश्चित किया गया। तद्नुसार प्राक्कलन सरकार को भेजा गया जिसकी विभागीय पत्रांक 380, दिनांक 07.02.2013

स्वीकृति मिल गयी है, के बारे में प्राप्त हुआ इसके बाद दिनांक 18.02.2013 को पंचाट घेषित किया गया जिसकी सूचना लोकायुक्त के न्यायालय में भी दी गयी । सब मिलाकर विलम्ब का कारण त्रुटियों का निवारण पाया गया एवं इस विलम्ब हेतु 291 रुपये प्रति डि0 भूमि के मूल्य के अलावे 12 प्रतिशत दर से दाखिल–कब्जा की तिथि से पंचाट की तिथि तक का सोलेशियम भूमि के मूल्य के 60 प्रतिशत का क्षतिपूर्ति, भूमि मूल्य पर प्रथम वर्ष दखल–कब्जा के 9 प्रतिशत, दखल–कब्जा के बाद 15 प्रतिशत जोड़ कर राशि का भुगतान किया गया । वर्ष 2011–12 में विवादित मौजा के न्यूनतम मूल्य निबंधन कार्यालय से 4200 रुपये निर्धारित किये जाने का प्राप्त हुआ । वर्ष 2011–12 के दौरान किये गये बिक्री का एक दस्तावेज प्राप्त हुआ जिसका मूल्य 2872/– जो एम0वी0आर0 में निर्धारित मूल्य से कम है । सब मिलाकर विलंब का कारण मामले का पुराना होना, जटिल होना एवं त्रुटियों का निराकरण किया जाना, कागजात जुटाने एवं सरकार से अनुशंसा लेना कहा गया है ।

विलम्ब के कारण के अतिरिक्त यह कहा गया है कि एवार्ड घोषित होने के बाद उसमें परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को नहीं है । आवेदक द्वारा लोकायुक्त के आदेश दिनांक 14.03.2013 कि भू–अर्जन विभाग से मुआवजा ले लीजिये और सक्षम न्यायालय में वाद दाखिल करने के सलाह को मिसकंसिव्ड कहे जाने पर भी अपत्ति की गयी तथा उसे ही मानवाधिकार का अतिक्रमण किये जाने का विरोध किया गया है । परिवाद पत्र में मांगे गये अनुतोषों को मानवाधिकार का हनन होना नहीं माना गया है । भू–अर्जन वाद की कार्रवाई को क्षेत्राधिकार से बाहर कहा गया है । सरकारी पदाधिकारी के पद को स्थानांतरणीय कहा गया है जिस कारण उनका किसी के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण भाव नहीं हो सकता । परिवाद को किसी तरह पोषणीय नहीं होना कहा गया । सब मिलाकर कहा गया है कि पंचाट (Award) देर से पारित करने का पर्याप्त कारण मौजूद था । इसलिए क्षतिपूर्ति (Compensation) दिये जाते समय उसका ध्यान रखा गया और उपयुक्त/उचित धनराशि आवेदक को उसकी भूमि के लिए दिया गया । इस स्पष्टीकरण का मात्र एक ही उपयोग है कि यदि पंचाट के दिये जाने में या क्षतिपूर्ति की राशि दिये जाने में विलम्ब किये जाने का दोषी विपक्षीगण बिहार सरकार को माना जायेगा तो यह स्पष्टीकरण उन्हें अपने गलती के दायित्वों से मुक्त कर सके ।

बार–बार इस आयोग के क्षेत्राधिकार को चुनौती दी गयी है । आयोग के क्षेत्राधिकार को भिन्न कारणों से बाधित होना कहा गया है :–

क. धारा 36 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम

ख. विवादित विषयवस्तु को लोकायुक्त द्वारा निर्णित किया जा चुका है जिस कारण रेसजुडिकेटा (resjudicata) अस्तित्व में आ जाता है ।

ग. आवेदक द्वारा एवार्ड (Award) की रकम प्राप्त कर ली गयी है जो उसकी सहमति मानी जायेगी और Estoppel अस्तित्व में आ जाता है ।

(क) धारा 36 (1) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आयोग द्वारा ऐसे विषय की जांच करने का अधिकार नहीं देता है जो तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन सम्यक रुप से गठित किसी राज्य आयोग या किसी अन्य आयोग के समक्ष लम्बित हो । 'आयोग' को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (ग) में परिभाषित किया गया है जिसमें कहा गया है कि आयोग से धारा 3 के अधीन गठित मानव अधिकार आयोग अभिप्रेत है और धारा 3 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन के बारे में है । इसलिए यह राज्य आयोग पर लागू नहीं है ।

(ख) लोकायुक्त आयोग की परिभाषा में नहीं आते हैं । फिर भी उनके निर्णय के बारे में विचार करना है कि उनके द्वारा निर्देशित मुआवजा की रकम प्राप्त कर लेने का आदेश रेसजुडिकेटा (resjudicata) की परिभाषा में आता है या नहीं । यह पक्षकारों का स्वीकृत तथ्य है कि लोकायुक्त द्वारा यद्यपि कि शिकायतों के गुण–दोषों पर भी अपना निर्णय दिया गया है परंतु अंतिम रुप से उनके द्वारा माना गया है कि पूर्ण विवादित विषय पर निर्णय देने का क्षेत्राधिकार उनका नहीं है । ऐसी स्थिति में इस बिन्दु पर आवेदक के आवेदन पत्र को खारिज नहीं किया जा सकता, न ही गुण–दोषों पर दिए गए निर्णय को किसी अर्थ में स्वीकार किया जायेगा । कम–से–कम आयोग के लिए वह बाध्यकारी नहीं है ।

(ग) मुआवजा की रकम को यदि प्राप्त किया जाना मान लिया जाय तो Estoppel माना जायेगा या नहीं, के बिन्दु पर पक्षकारों द्वारा संयुक्त रुप से यह स्वीकार किया गया है कि आवेदक द्वारा मुआवजा की रकम प्राप्त कर ली गयी है परंतु विरोध के साथ । अर्थात् उनके द्वारा मुआवजा की रकम पर आपत्ति की जा सकती है और इस बिन्दु पर उनका आवेदन पत्र खारिज नहीं किया जा सकता ।

Award पारित हो जाने के बाद मुआवजा Compensation की रकम पर आपत्ति करने हेतु प्रभावित काश्तकारों को मात्र एक अधिकार दिया हुआ है कि वह कोर्ट में Reference दाखिल कर सकते हैं । इसके लिए उन्हें लिखित आवेदन पत्र संबंधित समाहर्त्ता को देना है कि उनके आवेदन पत्र को निर्णय दिए जाने हेतु न्यायालय को भेज देवें । परंतु इस मुकदमा में यह स्वीकृत तथ्य है कि आवेदक

द्वारा ऐसा आवेदन पत्र जब दिया गया तो उसे स्पष्ट नहीं होने के बिन्दु पर खारिज कर दिया गया । जबकि उन्हें मात्र यह देखना है कि आवेदन पत्र समय सीमा के अन्दर दिया गया है या नहीं इसके अतिरिक्त किसी भी आधार पर उनके द्वारा Reference को खारिज नहीं किया जा सकता है ।

क्षेत्राधिकार को एक और नजर से देखा जा सकता है । वह यह है कि भूमि अर्जन के या इससे संबंधित पारित किये जाने वाले Award या अपर्याप्त मुआवजा की आपत्ति को मानवाधिकार के श्रेणी में लाया जा सकता है या नहीं । धारा 21 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम राज्यों में मानव अधिकार आयोग के गठन की बात कहता है और उसकी सीमायें संविधान की VIIवीं अनुसूची की सूची II एवं III में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी विषय से संबंधित होना कहता है । अनुसूची VII के सूची III जो केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के साथ–साथ अधिकार की बात कहता है उसके 42वें नम्बर पर संपत्ति के Acquisition एवं Requisition की बात है। अलावे इसके मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 17 में प्रत्येक व्यक्ति को अकेले या दूसरों के साथ मिलकर संपत्ति रखने का अधिकार और उन्हें मनमाने ढंग से वंचित नहीं किये जाने के अधिकार की मान्यता है ।

इस बिन्दु पर तुकाराम काना जोशी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी लिया जा सकता है जो AIR 2013 SC 565 में reported है कि इसका सिविल अपील नं0 7780 of 2012 है । उक्त निर्णय के पैरा 7 में स्पष्ट रुप से कहा गया है कि सम्पत्ति का अधिकार संवैधानिक या वैधानिक अधिकार होने के साथ–साथ मानवाधिकार की श्रेणी में भी आता है । और भी निर्णयों को आवेदक द्वारा उद्धृत किया गया है परंतु उनको भी अब दिये जाने की आवश्यकता नहीं महसूस की जा रही है ।

नये Land acquisition act की धारा 62 सिविल कोर्ट के Jurisdiction को bar करता है । जिसका अर्थ हुआ कि Land acquisition act में दिये गये निर्णय के बारे में सिविल कोर्ट को Interfere करने का अधिकार नहीं है । मानवाधिकार से इसका कोई छुआछूत नहीं है ।

मानवाधिकार के अधिकार क्षेत्र को और भी रुपों में चुनौती दी गयी है कि आवेदक द्वारा जिस अनुतोष की मांग की गयी थी वह उसे दिया जा चुका है और दूसरा अनुतोष पहले अनुतोष के विरोधाभाषी हैं । आवेदक द्वारा प्रथम अनुतोष इस बात का मांगा गया है कि जिला भूमि–अर्जन अधिग्रहण पदाधिकारी के तथाकथित Award

दिनांक 18.02.2013 जो LA case no 179 of 1973–74 में दिया गया है, उसकी सत्य प्रतिलिपि आवेदक को दिलवाई जाय और क्षतिपूर्ति (Compensation) की धनराशि का भुगतान भी किया जाय । दूसरा अनुतोष इस बात का मांगा गया है कि उपरोक्त Award को अस्तित्व में आना नहीं माना जाय और दूसरा Proceeding Initiate किया जाय । प्रथम अनुतोष के बारे में कहा गया है कि आवेदक द्वारा Award की सत्य प्रतिलिपि मांगी गयी जो उसे दी जा चुकी है और उसे क्षतिपूर्ति (Compensation) का धनराशि भी दिया जा चुका है । इसलिए कोई मामला शेष नहीं रह जाता है । इसको दूसरे अनुतोष से मिलाने पर विपक्षीगण का कहना है कि एक बार जब Award को स्वीकार किया गया और क्षतिपूर्ति की रकम प्राप्त कर लिया गया तो इसके विपरीत एवार्ड को अस्तित्व में न रहना कैसे माना जायेगा । यह बात कुछ हद तक स्वीकार किया जा सकता है परंतु ज्यों ही क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है तो उसका अर्थ होता है कि न्यायोचित एवं संतोषजनक क्षतिपूर्ति । इसीलिए जैसा ऊपर वर्णित है आवेदक द्वारा जब क्षतिपूर्ति (Compensation) की धनराशि प्राप्त की गयी तो आपत्ति (Protest) के साथ उसे प्राप्त करने की बात कही गयी है । उचित और संतोषजनक क्षतिपूर्ति के लिए Land acquisition act में Reference दाखिल करने का प्रावधान है जो सिविल कोर्ट द्वारा निर्णित किया जायेगा परंतु जैसा ऊपर वर्णन किया जा चुका है वह दरवाजा भी Land acquisition Officer, Buxar द्वारा उसे बिना अधिकार के खारिज करके रोक दिया गया है । एक के बाद एक Land acquisition case का प्रारम्भ करना जैसा कि आवेदक द्वारा कहा गया है और जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है उसके Lapse करने के साथ Land acquisition act की धारा 11A को जोड़ने पर स्पष्ट है कि 1973–74 में प्रारम्भ किया गया यह केस उद्घोषणा (Declaration) के प्रकाशन (Publication) से दो वर्ष के अन्दर पंचाट (Award) पारित नहीं करने के कारण Lapse कर गया । परंतु आवेदक द्वारा अपनी भूमि को वापस नहीं मांगा जा रहा है तो इन त्रुटियों के बाद मात्र इतना देखना ही शेष रह जाता है कि आवेदक को दी गयी क्षतिपूर्ति (Compensation) की रकम उचित एवं संतोषजनक है या नहीं और Award पारित करने में एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान करने में देरी मानवाधिकार का अतिक्रमण है या नहीं।

पक्षकारों द्वारा पूछे गये 8 बिन्दुओं में से बिन्दु सं0 6 आवेदक द्वारा Reference दाखिल करने की तिथि, बिन्दु सं0 7 Reference किस पदाधिकारी Tribunal या Court में करना चाहिये, इसकी जानकारी एवं बिन्दु 8 लोकायुक्त का आदेश Merit पर है या Maintainability पर, का जवाब आ चुका अर्थात् इस पर

आयोग का निर्णय ऊपर आ चुका है । बिन्दु सं0 4 पंचाट के पारित किये जाने की तिथि एवं बिन्दु सं0 5 पंचाट की सूचना देने की तिथि का महत्व मात्र Reference दाखिल किये जाने के लिए निर्धारित समय से है कि Reference समय–सीमा के अंदर दाखिल किया गया या नहीं । उपरोक्त Reference के आदेश के बाद इसके बारे में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि इस वाद की जो परिस्थितियां अर्थात् भूमि अधिग्रहण का वर्ष, इस पर कब्जा लेने का वर्ष और कब्जा लेनेवाले पदाधिकारी को पंचाट के पारित करने वाले तिथि से यदि जोड़ा जाय तो स्पष्ट होगा कि यह देरी किसी भी तरह सामान्य रुप से लिये जाने वाले समय से बहुत अधिक है और यह मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में आता है । इस पर और विस्तार से कहने के पूर्व एक बार मैं यह स्पष्ट जरुर करना चहूंगा कि इस वाद के आवेदक एवं उनके साथ के रैयतों के साथ जो व्यवहार किया गया है वह ब्रिटिश साम्राज्य के समय की याद दिलाता है जब चम्पारण के किसानों को नील के उत्पादन हेतु फसल काश्त करने को मनमानी कीमत पर बाध्य किया गया । उस समय जनता को एक मात्र सहारा विरोध करने का था और वह विरोध वहां के किसानों ने गांधी जी के नेतृत्व में किया । बक्सर के इन किसानों के साथ जो भी किया गया और सरकार के नीतियों के क्रियान्वयन का जो तंत्र है उसका रवैया किसी भी रुप में उससे कम नहीं है क्योंकि भूमि के अधिग्रहण का वर्ष 1974 या 1975 रहा, कब्जा लेने की तिथि दिनांक 14.01.1976 एवं पंचाट (Award) पारित करने की तिथि दिनांक 18.02.2013 ।

आवेदक द्वारा दर–दर अपनी बात कही गयी और अंत में इस आयोग का दरवाजा खटखटाया गया । रैयतों के दुःख–दर्द पर सरकार की प्रतिक्रिया जानने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बक्सर के साथ प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को नोटिस जारी किया गया परंतु भू–अर्जन पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रधान सचिव कभी भी इस आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं आये तथा उनके द्वारा केवल विरोध किया जाता रहा एवं करवाया जाता रहा । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण निदेशक–सह–अपर सचिव, भू–अर्जन का समाहर्त्ता बक्सर को संबोधित निर्देश है कि दिनांक 06.11.2014 को विभाग द्वारा एक लम्बे समय की याचना करना है । कारण में दिया हुआ है कि प्रश्नगत विषय मानवाधिकार आयोग की परिधि में नहीं आता है तथा विभाग को माननीय उच्च न्यायालय में सी0डबल्यू0जे0सी0 में जाना है जिसके लिए विधि विभाग से परामर्श की मांग की गयी है । प्रश्नगत विषय मानवाधिकार आयोग के परिधि में आता है या नहीं भू–अर्जन विभाग को आयोग के समक्ष उठाने का पूरा अधिकार है । इसे मात्र विभाग द्वारा विरोध माना जायेगा परंतु बिना किसी औचित्य के (आदेश परित

किये) सी0डबल्यू0जे0सी0 में जाने के बिन्दु पर विधि विभाग से परामर्श मांगे जाने की बात स्पष्टतया यह साबित करती है कि सरकारी तंत्र का रवैया रैयतों को परेशान करना रहा है ।

चम्पारण के नील हेतु खेती करने वाले किसानों से बक्सर के रैयतों की स्थिति एक अर्थ में अलग है कि उनको (चम्पारण के किसानों को) अपनी जायज मांग मांगने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह का सहारा लेना पड़ा जबकि आज सरकार द्वारा जो भी अधिनियम है उनमें उनके हित की बात दी हुयी है और उसे मनवाने के लिए न्यायालय तथा उनकी सीमा में न आने पर अन्य तंत्र मानवाधिकार आयोग सहित भी आता है । न्यायालय से रिफरेंस (Reference) दाखिल कर उचित मुआवजा की मांग की जा सकती थी जो इस वाद में समाहर्त्ता, बक्सर के आदेश से समाप्त हो चुकी है । अब मात्र इस आयोग से ही कुछ भी आशा की जा सकती है । यह स्पष्ट कर देना सुसंगत है कि सरकार की नीतियां उदारवादी एवं लोक–कल्याणकारी हैं साबित करने के लिए भूमि अर्जन अधिनियम में समय–समय पर आया संशोधन उदाहरण के रुप में लिया जा सकता है । इतिहास पर यदि दृष्टि डाला जाय तो पाया जायेगा सोलेशियम 15 % से 30 %, 30 % से 60 % और 60 % से 100 % करने के अलावा भूमि के उचित कीमत का 2 गुना तक और उस पर 100 % का सोलेशियम एवं पुनर्वास की व्यवस्था यदि आवश्यकता है तो । परन्तु सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करने वाले तंत्र द्वारा इस पर तुषारापात होता नजर आता है । अन्यथा 1974–75 में भूमि अर्जन का नोटिफिकेशन, 1976 में कब्जा, वर्ष 2013 में पंचाट (Award) पारित करने का अवसर नहीं आने दिया जाता, न ही इसे Lapse LA Case no.-179 of 1973–74 में पारित किया गया रहता ।

भूस्वामियों (रैयतों) के लिए बनाया गया कानून (अधिनियम) उदारवादी/लोक–कल्याणकारी राज्य द्वारा बनाया गया है, यह भूमि अधिग्रहण अधिनियम के विभिन्न धाराओं के विश्लेषण के बाद और स्पष्ट हो जायेगा । भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 16 एवं 17 कब्जा लेने के बिंदु पर है कि कब और किसके द्वारा कब्जा लिया जायेगा । दोनों धाराओं में कब्जा **कलक्टर/जिला समाहर्त्ता द्वारा** लिया जाना है । धारा 16 सामान्य स्थिति में कब्जा देने की बात कहता है और धारा 17 अरजेंसी होने पर कब्जा लेने की बात कहता है । धारा 16 के अनुसार दफा 11 में पंचाट पारित किये जाने के बाद ही कब्जा लिया जायेगा । धारा 17 में कलक्टर द्वारा तत्काल कब्जा लिया जायेगा परन्तु धारा 9 के नोटिस के पब्लिकेशन के 15 दिन के बाद । यदि अर्जित किये जाने वाले भूमि पर कोई मकान या मकान का अंश है तो उसके मालिक को 48 घंटे पूर्व नोटिस दिया जायेगा । इस वाद में यह स्वीकृत तथ्य है

कि अर्जित किये जाने वाले भूमि पर कोई मकान नहीं था तथापि 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिये था जो नहीं दिया गया और इस आयोग द्वारा बिन्दु 3 पर पूछे गये कब्जा लेने वाले पदाधिकारी के जवाब में पक्षकारों द्वारा कार्यपालक अभियंता का नाम लिया गया है । धारा 9 का कोई नोटिस पब्लिश नहीं हुआ ।

भूमि अधिग्रहण के लिए कार्यवाही किए जाने का वर्ष आवेदक द्वारा दिनांक 19.02.1974 बताया गया है जबकि भू–अर्जन पदाधिकारी, बक्सर द्वारा यह तिथि दिनांक 17.07.1975 कहा गया है । वर्ष 1975 हो या 1974 हो इस में कोई खास अंतर नहीं है क्योंकि परिणाम एक जैसा ही आयेगा कि वर्ष 1974–75 या 1976 से अब तक में उपरोक्त प्रकार से सोलेशियम की वृद्धि एवं भूमि के कई गुना क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान जोड़ा गया । साथ ही रैयतों (किसानों) के हित में सूद की रकम के बारे में भी व्यवस्था की गयी कि यह कैसे 9 %, 12 % एवं 15 % दिया जायेगा । भू–अर्जन विभाग का यह कथन हास्यास्पद लगता है कि विधि का अनुपालन करते हुये वर्ष 1976 में लिये गये कब्जा के लिए जब वर्ष 2013 के फरवरी माह में पंचाट की घोषणा की गयी तो इस पर Interest का ध्यान रखा गया या भूमि की कीमत का ध्यान रखा गया।

आवेदक के दूसरे हैसियत अर्थात् उनके उच्च न्यायलय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश होने और इस स्थान से अवकाश प्राप्त कर लेने की स्थिति को यदि छोड़ दिया जाय तो एक रैयत की भूमि उससे छीन ली जाती है या ले ली जाती है, इस पर कब्जा–दखल ले लिया जाता है, 37 वर्षों के बाद मुआवजा दिया जाता है और कहा जाता है कि सारी बातों को ध्यान में रखा गया है । इस 37 वर्ष के अंतराल को उचित ठहराने का प्रयास किया गया है । इसके लिए कहा गया कि वर्ष 2002 में आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति (Compensation) की मांग की गयी । आवेदक के अनुसार वर्ष 2002–03 के बीच कुछ कार्रवाई की गयी, वह भूमि अर्जन विभाग के ही समझ की बात है कि क्या कार्रवाई की गयी । उसके बाद वर्ष 2008 एवं 2009 में कुछ किया गया परंतु पंचाट (Award) न तो पारित हुआ, न किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति (Compensation) दी गयी । पंचाट पारित हुआ तब, जब आवेदक लोकायुक्त के समक्ष उपरोक्त मामले को उठाये ।

इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि भूमि–अर्जन की कार्रवाई बक्सर–कोईलवर गंगा तटबंध परियोजना के अंतर्गत होनी थी जिसमें शुरु–शुरु में जो भूमि चिन्हित किया गया था एवं उसके लिए कार्रवाई की गयी थी उसमें से कुछ भूमि निकाल दी गयी कि वह सरकार की गैरमजरुआ भूमि थी । कुछ भूमि पर बांध नहीं बना और कुछ ऐसे भूमि पर बांध बन गया जो कार्रवाई का अंश नहीं था लेकिन जिस

भूमि पर तटबंध बना एवं किसी –न–किसी रुप में वह भूमि अर्जन के प्रोसिडिंग का अंश रहा भले ही कुछ भूमि के लिए अलग Notification जारी कर उसे उचित ठहराने का प्रयास किया गया । तटबंध वाले भूमि का क्षेत्रफल 12.50 + .99 एकड़ आवेदक द्वारा कहा गया है । इसमें आवेदक, उसकी पत्नी एवं उसके पुत्र की .48 + एकड़ भूमि होना कहा गया है । आवेदक कितनी भूमि का स्वामी है, अंतिम रुप से आयोग द्वारा इस पर निर्णय नहीं दिया जायेगा । आयोग को मात्र इस बिन्दु पर निर्णय देना है कि आवेदक या उसके साथ के रैयतों के मानवाधिकार के अतिक्रमण होने के कारण प्रति डिसमिल कितनी धन राशि की क्षतिपूर्ति के रुप में अनुशंसा की जायेगी ।

इस धनराशि को निश्चित किये जाने हेतु पक्षकारों द्वारा अलग–अलग आधार बनाया गया है । आवेदक द्वारा कहा गया कि सरकार द्वारा निश्चित उस क्षेत्र का एम0वी0आर0 जो वर्ष 2014–15 में 9000 रुपये प्रति डिसमिल था, को ध्यान में रखकर उस पर सोलेशियम, सूद की रकम दी जाय जबकि विपक्षीगण द्वारा कहा गया है कि सरकार द्वारा निश्चित एम0वी0आर0 वर्ष 2011–12 में 4200 रुपये प्रति डि0 था । कब्जा लिये जाने के वर्ष 1976 में विवादित मौजा का अधिकतम मूल्य 291 रुपये निश्चित कर उसमें उसके आधे कीमत को जोड़कर उस पर 60 % सोलेशियम के बाद धारा 23 ए0 के तहत 444.72 पर धारा 34 के तहत प्रथम वर्ष एवं बाद के वर्षों का ब्याज जोड़ कर उस पर Compensation दी गयी है। क्षतिपूर्ति (Compensation) निश्चित करने के लिए यह स्पष्ट किया जा रहा है कि यह आयोग Reference वाले न्यायालय की तरह Compensation का निर्धारण नहीं करेगा । मात्र आयोग को यह देखना है कि आवेदक की भूमि को कब्जा में लिये जाने के बाद एक लम्बे अंतराल 37 वर्ष तक जो विलम्ब हुआ है उसको मानवाधिकार के अतिक्रमण मानने पर आवेदक के भूमि के लिए मानवाधिकार के नजर से क्षतिपूर्ति (Compensation) यदि निर्धारित किया जाय तो वह कितनी होगी । इसके लिए भूमि अर्जन अधिनियम में जो संशोधन हुये हैं, रैयतों के हित में किस तरह से भूमि की कीमत बढ़ी है, सोलेशियम किस तरह से बढ़ा एवं भूमि के कीमत के भी दो गुना कीमत देय है।

अनुशंसा हेतु भूमि की कीमत प्रति डिसमिल निर्धारित किये जाते समय यह स्पष्ट किया जा रहा है कि पक्षकारों द्वारा जो भी आधार भूमि की कीमत का बताया गया है उसे Reference वाला न्यायालय नहीं होने के कारण आधार नहीं बनाया जा सकता परंतु हर हाल में सरकार के लोक कल्याणकारी नीतियों के साथ उसे जोड़कर उसे ध्यान में रखा जायेगा जिसको ध्यान में रखने के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदक के अधिगृहित भूमि की कीमत अनुशंसा हेतु 45000 (पैंतालिस हजार) रुपये प्रति डिसमिल होना चाहिये ।

अतः आवेदक एवं रैयतों के अधिगृहित भूमि की कीमत अनुशंसा हेतु 45000 (पैंतालिस हजार) रुपये प्रति डिसमिल निश्चित किया जाता है । विपक्षीगण को आवेदक के अधिगृहित हिस्से की भूमि की कीमत (क्षतिपूर्ति) की रकम दो माह के अन्दर दे दिया जाना चाहिए ।

इस आदेश की प्रति प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/निदेशक–सह–अपर सचिव, भू–अर्जन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/भू–अर्जन पदाधिकारी, बक्सर/एवं आवेदक को विधिवत दी जाय ।

ह0/–
(न्यायमूर्ति मान्धाता सिंह)
सदस्य